जिला परिषद काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, जिला परिषद काँगड़ा स्थित धर्मशाला , जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान जिला परिषद में निम्नलिखित अध्यक्ष व सचिव कार्यरत थे:-

अध्यक्ष :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति श्रेष्ठा कोंडल	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति मधु गुप्ता	23-01-16 से 31.3.18

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेन्द्र कुमार धीमान	07-10-09 से 25-09-17
2.	श्री विजय बरागटा	10-10-17 से 06-04-18

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र0 सं0	पैरा स॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	4.2	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में भारी अन्तर।	1293.43
5.	8.	दुकान के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष।	1.75
6.	8.1	किराया न बढ़ाने के कारण कम वसूली।	0.26
7	9	अनुदानों का उपयोग न करना।	3420.21

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

जिला परिषद काँगड़ा स्थित धर्मशाला , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4 /2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-07-2018 से 24-07-2018 तक के दौरान जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/15, 03/17, 07/17 व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 12/15, 10/16 व 01/18 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण जिला परिषद के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

जिला परिषद काँगड़ा स्थित धर्मशाला , जिला काँगड़ा अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹10800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 206 दिनांक 24-07-18 द्वारा सचिव जिला परिषद से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

सचिव जिला परिषद काँगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार जिला परिषद निधि के अवधि 0104.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्त्रोत+ब्याज :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	448086	6313643	6761729	984542	5777187
2016-17	5777187	5446528	11223715	1644282	9579433
2017-18	9579433	6651714	16231147	748451	15482696

{2} अनुदान :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	270670118	246345997	517016115	121513001	395503114
2016-17	395503114	207634397	603137511	184177848	418959663
2017-18	418959663	293258062	712217725	370197220	342020505

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) वित्तीय स्थिति अनुसार जिला परिषद निधि 31-03-18 (1+2)को अंत शेष :- 357503201

(ख) रोकड़ बही अनुसार जिला परिषद निधि का दिनांक 31-03-18 को अन्त शेष :-319284147

अन्तर :- 38219054

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति में अन्तर का कारण :-

रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष 319284147

क (-) रोकड़ बही में निम्न लिखित अधिक जोड़ किया गया :-

(i) दिनांक 17-04-17 पृष्ठ 6 पर :-

(21859416 जोड़होना था -21909416 किया गया)= 50000

(ii)दिनांक 13-11-17 पृष्ठ 56 पर = 3656

53656 (488534968 होना था -488538624 किया गया) 319230491

(ख)(+)रोकड़ बही में निम्न लिखित कम जोड़ किया गया :-

(i)दिनांक 29-03-16पृष्ठ 53 पर = 200

(323779494 होना था -323779294 किया गया)

(ii)दिनांक 18-10-16 पृष्ठ 93 पर = 38221900

(375087707 होना था -336865807 किया गया)

(iii) दिनांक 31-10-16 पृष्ठ 100 पर = 4800

(280628261होना था -280623461किया गया)

(iv) दिनांक 30-11-16 पृष्ठ 106 पर = 13500

(324538403 होना था -324524903 किया गया)

(v) दिनांक 31-03-17 पृष्ठ 141 पर = 27450

(418428462 होना था -418401012 किया गया)

(vi) दिनांक 05-05-17 पृष्ठ 9 पर = 4800

(454482619 होना था -454477819 किया गया)

(vii) दिनांक 03-07-07 पृष्ठ 22 पर = 60

(+)38272710

(424351960 होना था -424351900किया गया)

वित्तीय स्थिति अनुसार शेष 357503201

उक्त प्रविष्टियों का समाधान रोकड़ बही में कर के अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

31-3-18 को विभिन्न बचत खातों में जमा राशि का **(परिशिष्ट-1)**	221527022
31-03-18 को सावधि जमा में निवेश राशि **(परिशिष्ट-2)**	6627296
31-03-18 को हस्तगत राशि	5385
कुल जमा राशि	**228159703**
वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31-03-18 को अन्त शेष :-	357503201
31-03-18 को कुल जमा राशि :-	228159703
अन्तर	**129343498**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खतों में जमा राशि के अन्त शेष में ₹1293.43 लाख का भारी अन्तर पाया जाना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 15 (10) बी के अनुसार जिला परिषद रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है जबकि जिला परिषद की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि जिला परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31-03-18 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार ₹129343498 का रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर पाया गया। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 184 दिनांक 16-07-18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु जिला परिषद द्वारा अंकेक्षण को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया । अत: मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है तथा अतिशीघ्र उक्त अन्तर का मिलान किया जाए तथा अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

4.3 जिला परिषद निधि का निवेश निजी बैंकों में करने बारे :-

जाँच में पाया गया कि जिला परिषद द्वारा सात बैंक खाते एच.डी.एफ.सी.बैंक धर्मशाला में खोले गए है व इनमें ₹1583.14 लाख की राशि जमा है जो कि वित्त विभाग के पत्र सं :-Fin-IF-(A)-68/91-V दिनांक 17-04-14 में दिए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की राशि कोपरेटिव बैंक में निवेशित की जानी अपेक्षित थी। जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 205 दिनांक 23-07-18 द्वारा सचिव जिला परिषद को सूचित किया गया परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: जिला परिषद निधि की राशि को निजी बैंक में जमा रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार कोपरेटिव बैंक की नजदीकी शाखा में जिला परिषद निधि की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करे।

5 **निवेश :-** दिनांक 31-03-18 को जिला परिषद निधि से **परिशिष्ट-2** के अनुसार ₹66.27 लाख की धनराशि सावधि जमा योजना में निवेशित थी।

5.1 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार जिला परिषद में उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को जिला परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक में इस प्रकार निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम आय अर्जित की जा सके। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-18 को **परिशिष्ट -1** अनुसार **₹** 2215.27 लाख की अत्यधिक राशि बचत खातों में जमा थी जबकि सावधि जमा निवेश के रूप में केवल ₹ 66.27 लाख की राशि में जमा थी अत: उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए बचत खातों में जमा राशि में से अधिक से अधिक राशि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सके। तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

जिला परिषद की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि जिला परिषद द्वारा **परिशिष्ट-3** अनुसार हर माह नकद राशि को निर्धारित सीमा से अत्यधिक रखा गया था जबकि नियमानुसार सचिव जिला परिषद केवल पांच हजार तक की राशि हस्तगत रख सक ता है, जोकि {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 18 के प्रतिकूल होने के

कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 वार्षिक खाते तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 14 (1) के अनुसार जिला परिषद निधि के वार्षिक लेखे तैयार करना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया कि जिला परिषद निधि के वर्ष 2015-16 व 2017-18 के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 202 दिनांक 23-07-18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु सचिव जिला परिषद द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि एक गंभीर मामला है। अत: उक्त अवधि के वार्षिक लेखे तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

8 दुकान के किराये की बकाया राशि ₹1.75 लाख वसूली हेतु शेष :-

किराया रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार श्री नवीन कुमार दुकान न० 8 से दिनांक 31-03-18 को ₹174542 किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी।

(क)15 मार्च 2014 से 31-10-16 तक किराया		
8100/- प्रति माह की दर से 31 माह 17 दिन का	=	255542
(ख)11/16 से 03/18 तक का किराया		
7000* प्रति माह की दर से 17 माह का	=	119000
	जोड़ :-	374542
(ग)15मार्च 2014 से 31-03-18 तक वसूला गया किराया	:-	200000

31-03-18 तक बकाया किराया की राशि :-₹174542

***नोट:- माह 11/16 से उक्त दुकान की किराया राशि का पुन:निर्धारण कर ₹8100 से कम कर ₹7000 मासिक निर्धारित किया गया।**

उक्त बकाया किराये की राशि को सम्बन्धित दुकानदार से शीघ्र वसूल कर जिला परिषद निधि में जमा किया जाए व भविष्य में किराया की राशि को माहवार वसूलना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

8.1 दूकान किराये में बढ्ढोतरी न करने के कारण ₹0.26 लाख के किराये की कम राशि वसूलने बारे :-

किराया अनुबन्ध की शर्त 3 की जाँच करने पर पाया गया कि प्रत्येक दुकानदार द्वारा 3 वर्ष पुरे होने के पश्चात निर्धारित किराये में 10% की दर से किराये की राशि में बढौतरी करना अपेक्षित थी जो की नहीं की गई जिस कारण निम्नविवरणानुसार दिनांक 31-03-18 तक ₹ 26400 की राशि कम वसूली गई ।

दुकान न०	दुकानदार का नाम	दुकान के कब्जे की दिनक	निर्धारित किराया (मासिक)	अपेक्षित बढौतरी की तिथि	बढौतरी उपरान्त किराया(मासिक)	जिस अवधि में कम किराया वसूला	कुल कम वसूला किराया
1.	श्री मदन लाल	08/14	7000	08/17	7700	8 माह	5600
2.	श्री अविनाश चन्द्र	08/14	6000	08/17	6600	8 माह	4800
3.	श्री विरेंद्र कुमार	08/14	7000	08/17	7700	8 माह	5600
6.	श्री सुनन्दा शर्मा	08/14	6000	08/17	6600	8 माह	4800
7.	श्री अश्वनी कुमार	08/14	7000	08/17	7700	8 माह	5600
						कुल जोड़	**26400**

अत: किराये को अनुबन्ध की शर्त अनुसार किराया न बढ़ाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त कम वसूले किराये की राशि को दुकानदारों से तुरन्त वसूल कर जिला परिषद निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाना सुनश्चित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

9 अनुदान ₹ 3420.21 लाख का अवरोधन :-

जिला परिषद द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-4}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक जिला परिषद अनुदान ₹342020505 उपयोग हेतु शेष थी।

जिला परिषद द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि जिला परिषद द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों/अन्य संस्थाओं को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 200 दिनांक 23-07-18

द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु सचिव जिला परिषद द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 वाहन संख्या HP-01-D-5339 की लॉग बुक का नियमानुसार रख रखाब न करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि जिला परिषद के दैनिक कार्यों हेतु गाड़ी न० HP-01-D-5339 को वार्षिक आधार पर किराये पर लिया गया परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित यात्राओं के दौरान आने व जाने का समय व यात्रा का उदेश्य लाग बुक में नहीं दर्शाया गया इसके अतिरिक्त कई तिथियों को स्थान भी नहीं दर्शाए गए है जिसके अभाव में की गई यात्रा की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: यात्रा का समय , उदेश्य व स्थान न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्नलिखित यात्राओं को निजी यात्रा मानते हुए सम्बन्धित से नियमानुसार 2946KM की वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**यात्रा का स्थान**	**दूरी km में**
04-04-15	कार्यालय से काँगड़ा व वापिस	45
08-04-15	कार्यालय से घरोह व वापिस	45
25-04-15	कार्यालय से कजलोट व वापिस	45
10-05-15	कार्यालय से घरोह,कजलोट व वापिस	65
13-05-15	कार्यालय से चैतरू व वापिस	22
19-05-15	कार्यालय से गगल व रेस्ट हाउस के.बी.धर्मशाला व वापिस	35
30-06-15	कार्यालय से काँगड़ा व वापिस	44
04-08-15	कार्यालय से शिमला	595
03-11-15	--- यथोपरि------	595
08-11-15	कार्यालय से कजलोट ,खनियारा व वापिस	38
20-11-15	कार्यालय से बैजनाथ व लोकल धर्मशाला	161

21-11-15	कार्यालय से गगल व वापिस	19
12-04-16	कार्यालय से ग्राम पंचायत मलां व वापिस	35
14-04-16	कार्यालय से चैतरू व वापिस	22
22-04-16	स्थान नहीं दर्शाए है	78
23-04-16	कार्यालय से ग्राम पंचायत मलां व वापिस	37
01-02-17	स्थान नहीं दर्शाए है	165
25-06-17	धर्मशाला से समोट,शिमला व वापिस	625
04-09-17	स्थान नहीं दर्शाए है	275
	कुल जोड़	**2946**

11 ठेकेदार से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम की धारा 194(c) के अनुसार किसी भी ठेकेदार द्वारा अपनी सेवाए प्रदान करने के बदले एक बार में ₹30000 से अधिक व एक वित्तीय वर्ष में ₹75000 से अधिक की राशि के भुगतान के वर्ष में प्राप्त individual से 1% की दर से व firm से 2% की दर से आयकर की कटौती करना अपेक्षित था ।

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मै० समीर कुमार धर्मशाला को वार्षिक आधार पर टैक्सी को किराये पर लेने हेतु हेतु अवधि 04/15 से 03/18 के दौरान ₹1026292 का भुगतान किया गया परन्तु 1% की दर से स्त्रोत पर ₹10263 की आयकर की कटौती नहीं की गई जो की अनुचित था। इस बारे ऑडिट अधियाचना सं 203 दिनांक 23-07-18 द्वारा सचिव जिला परिषद को सूचित किया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

वाउचर संख्या	दिनांक/माह व माध्यम		भुगतान की गई राशि (₹)
66	20-05-15	RTGS	28000
84	14-08-15	RTGS	28000
118	31-10-15	RTGS	39345
143	09-02-16	RTGS	91001
6 से 10	21-04-16	RTGS	141782

62	08/16	RTGS	131464
114	24-12-16	RTGS	56874
135	20-02-17	RTGS	89952
5	07-04-17	RTGS	56000
60	11-08-17	RTGS	56000
99	30-09-17	RTGS	120905
114	08-11-17	RTGS	67275
139	18-12-17	RTGS	39694
185	08-02-18	RTGS	40000
207	20-02-18	RTGS	40000
		कुल भुगतान	**1026292**

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत जिला परिषद द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला परिषद द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था ,जो की अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जाँच पड़ताल रजिस्टर
3. अग्रिम रजिस्टर
4. वही खाते तैयार न करना
5. विश्राम गृह रजिस्टर

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत जिला परिषद के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

15 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2) 220/2018 खण्ड–6–8035–8037 दिनांक 1.12.18 ,शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, जिला परिषद कांगड़ा स्थित धर्मशाला एवं जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009. को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव जिला परिषद को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881